न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या- 46/2021 (द0प्र0सं0 की धारा 145 के तहत)

नीलकंठ सिंह वगैरह ---------- प्रथम पक्ष

बनाम्

धानेश्वर महतो वगैरह ---------- द्वितीय पक्ष

आदेश

08/7/25

अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर अधोहस्ताक्षरी के स्थानीय अधिकारिता क्षेत्र में विद्यमान भू-विवाद के कारण लोक परिशांति भंग होने की प्रबल संभावना पर निरोधात्मक कार्यवाई करते हुए दिनांक 03.11.2021 की प्रभावी तिथि से द0प्र0सं0 की धारा 145 के तहत कार्यवाई आरंभ किया गया।

विवादग्रस्त भूमि का विवरण

मौजा	थाना एवं अंचल	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
बनपुरा	बगोदर	09	217	70 डी0
चौहद्दी	उ0- ठाकुर महतो		द0- धिरवा उर्फ चिरवा चमार	
	पू0- परती वो घर		प0- कन्हाय सिंह	

विवाद में सम्मिलित उभय पक्ष को नोटिस निर्गत कर कारण पृच्छा किया गया।

उभय पक्ष अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपना-अपना पक्ष रखा। उभय पक्ष के द्वारा लिखित कारण पृच्छा तथा साक्ष्य के रूप में राजस्व संबंधी दस्तावेज दाखिल किए गए। उभय पक्ष के द्वारा मौखिक साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए जिनका मुख्य परीक्षण तथा प्रतिपरीक्षण किया गया। वाद के विषय में अंचल अधिकारी बगोदर का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। विवाद के विषय अर्थात वादग्रस्त भूमि पर द0प्र0सं0 की धारा 146(i) के तहत कार्यवाई करने हेतु थाना प्रभारी, बगोदर का अनुशंसा प्राप्त हुआ। उक्त आलोक में वादग्रस्त भूमि को जब्त करते हुए थाना प्रभारी बगोदर को Receiver नियुक्त किया गया।

प्रथम पक्ष अपने लिखित आवेदन में बयान करते हैं कि उक्त वादग्रस्त भूमि उन्हें हुकुमनामा से प्राप्त है तथा जमाबन्दी अंचल कार्यालय बगोदर के मांग पंजी अर्थात पंजी-II के भाग संख्या 01, पृष्ठ सं0 29 पर कायम है। उक्त भूमि की लगान रसीद वर्ष 2021-22 तक निर्गत है। प्रथम पक्ष आगे बयान

करते हैं कि विगत कुछ दिनों से उक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष जबरन जोत-कोड़ कर फसल लंगाने का प्रयास कर तथा माचा इत्यादि लगाकर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रथम पक्ष अपने दावे के समर्थन में हुकुमनामा की छायाप्रति, ऑनलाइन पंजी-II की छायाप्रति, कई लगान रसीद की छायाप्रति दाखिल करते हैं।

द्वितीय पक्ष अपने लिखित कारण पृच्छा में कहते हैं कि वादग्रस्त भूमि द्वितीय पक्ष को खुशकी केवाला से हासिल है। द्वितीय पक्ष आगे बयान करते हैं कि उक्त वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी उनके पूर्वज पति महतो वो हेमन महतो के नाम से अंचल कार्यालय बगोदर में पंजी-II के पृष्ठ 02 भाग सं0 02 पर कायम है। द्वितीय पक्ष आगे बयान करते हैं कि खरीदगी के उपरान्त वे उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक कायम - काबिज हैं। द्वितीय पक्ष अपने दावे के समर्थन में एक खुशकी केवाला सदामदी की छायाप्रति, एक लगान रसीद की छायाप्रति दाखिल करते हैं।

वाद में एक मध्यक्षेपक (Intervenor) विजय कुमार सिंह भी सम्मिलित हुए तथा उन्होंने भी अपना Intervenor Petition दाखिल किया जिसके अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि बकाश्त खाते की भूमि है जिसपर बकाश्त लगान पाने वाला के नाम के रूप में कन्हाई सिंह का नाम दर्ज है तथा वे उक्त भूमि के शांतिपूर्ण दखल कब्जे में थे। मध्यक्षेपक (Intervenor) आगे बयान करते हैं कि रैयती हुकुमनामा के जरिए मैनेजर साहब बहादुर रामगढ राज के द्वारा चौधरी सिंह को दखल कब्जा दिलवाया गया था। घरेलु बंटवारा होने के उपरान्त उक्त वादग्रस्त भूमि उनके हिस्से में आया। मध्यक्षेपक (Intervenor) आगे बयान करते हैं कि प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष दोनों ही जाली कागजात के आधार पर उक्त भूमि पर दावा कर रहे हैं तथा उनके तथा प्रथम पक्ष के मध्य स्वत्व को लेकर एक वाद T.S. No. 90/2022 व्यवहार न्यायालय में चल रहा है।

पुनः प्रथम पक्ष अपने लिखित कारण पृच्छा में बयान करते हैं कि प्रथम पक्ष के पूर्वज दयाल सिंह के नाम से खालसा लगान रसीद सहित अन्य कई लगान रसीद निर्गत है। दयाल सिंह के मृत्यु के उपरान्त उनके पुत्र चितो सिंह के नाम से सरकारी मालगुजारी रसीद 1953-54 से 2022-23 तक लगातार निर्गत है। चितो सिंह के मृत्यु के उपरान्त उनके पुत्र प्रथम पक्ष के सदस्य उक्त भूमि पर कायम-काबिज तथा दखलकार हैं।

मौखिक साक्ष्य के रूप में प्रथम पक्ष चार गवाह प्रस्तुत करते हैं। प्रथम पक्ष के प्रथम तीन गवाह प्रथम पक्ष से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है तथा अंतिम गवाह स्वयं प्रथम पक्ष के पक्षकार सं0 04 हैं।

प्रथम पक्ष के गवाह सं0 01 - पवित्र सिंह मुख्य परीक्षण में कहते हैं कि विवादग्रस्त भूमि पर प्रथम पक्ष का दखल-कब्जा है। प्रतिपरीक्षण में कहते है जमींदारी सरकार में निहित होने के उपरान्त से ही प्रथम पक्ष का दखल-कब्जा है तथा वर्तमान में प्रथम पक्ष का खलिहान है।

प्रथम पक्ष के गवाह सं0 02 - बलदेव महतो अपने मुख्य परीक्षण में कहते हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रथम पक्ष के दखल कब्जे में है। प्रतिपरीक्षण में

कहते हैं वादग्रस्त भूमि पर प्रथम पक्ष का खलिहान है तथा उक्त भूमि के अगल-बगल द्वितीय पक्ष का भूमि है। पुनः कहते हैं कि प्रथम पक्ष का दखल कब्जा है।

प्रथम पक्ष के गवाह सं0 03- लक्षमण सिंह अपने मुख्य परीक्षण में कहते हैं कि वादग्रस्त भूमि पर प्रथम पक्ष का दखल-कब्जा है।

प्रथम पक्ष के गवाह सं0 04 - अपने प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि वादग्रस्त भूमि बकाश्त खाते की है जिसका माल निर्धारण वर्ष 1927 में हुआ था।

द्वितीय पक्ष मौखिक साक्ष्य के रूप में चार गवाहों को प्रस्तुत करते हैं।

द्वितीय पक्ष के गवाह सं0 01 - दुलारचन्द महतो अपने मुख्य परीक्षण में कहते हैं वादग्रस्त भूमि पर द्वितीय पक्ष का दखल कब्जा है।

द्वितीय पक्ष के गवाह सं0 02 - सुरेन्द्र प्रसाद रजक नोटरी शपथ पत्र के माध्यम से अपना मुख्य परीक्षण प्रस्तुत करते हैं। उक्त शपथ पत्र में कहते हैं कि वादग्रस्त भूमि पर द्वितीय पक्ष का दखल कब्जा है। प्रतिपरीक्षण में कहते हैं शपथ पत्र मैंने ही तैयार करवाया है। आगे कहते हैं कि वादग्रस्त भूमि पर द्वितीय पक्ष का ही दखल कब्जा है।

द्वितीय पक्ष के गवाह सं0 03 - सुरेन्द्र महतो अपने मुख्य परीक्षण में कहते हैं कि द्वितीय पक्ष उक्त जमीन पर महुआ, कटहल, बांस इत्यादि के पेड़ लगाए हैं तथा खलिहान किए हैं इस प्रकार उक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष का दखल कब्जा है।

द्वितीय पक्ष के गवाह सं0 04 - धनेश्वर दास अपने मुख्य परीक्षण में कहते हैं उक्त वादग्रस्त भूमि द्वितीय पक्ष के दखल-कब्जे में है जिसमें उन्होंने माचा लगाया है तथा खलिहान किया है। प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि मैं बाहर रहता हुँ खेती बारी के समय ही घर आता हुँ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के दलीलों को सुना। प्रथम पक्ष लिखित बहस दाखिल कर नए तथ्य का समावेश किए। प्रथम पक्ष कहते है कि झरी मोड़ (NH-2) पर बनुपरा-चिचाकी-खुट्टा चौक - चिचाकी रेलवे स्टेशन तक की पथ परियोजना में जिला प्राधिकार सह भू-अर्जन पदाधिकारी, गिरिडीह के द्वारा चितो सिंह को हासिल इसी वादग्रस्त भूमि में से 0.0050 एकड़ भूमि अर्जित किया गया जिसका पंचाट (Award) तथा मुआवजा भू-अर्जन वाद सं0 01/2019-20 अवार्ड सं0 192 नीलकंठ सिंह वगैरह (प्रथम पक्ष) को राशि 12,123.10 का नोटिस निर्गत है। द्वितीय पक्ष अपने बहस में कहते हैं कि विविध साक्ष्यों के आलोक में उक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष का दखल कब्जा है।

उभय पक्ष द्वारा दाखिल कारण पृच्छा, मध्यक्षेपक (Intervenor) द्वारा दाखिल कारण पृच्छा, राजस्व संबंधी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य तथा उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्तागण के बहस को सुनने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हुँ कि एक ही भू-खण्ड पर अलग-अलग राजस्व दस्तावेज के जरिए तीनों पक्ष अपना-अपना दावा करते हैं। Intervenor विजय कुमार सिंह ने वाद के प्रथम पक्ष

को पक्षकार बनाते हुए माननीय सिविल जज गिरिडीह के न्यायालय में Original suit 90/2022 दायर किया है। जिसमें उन्होंने द्वितीय पक्ष को पक्षकार (Party) नहीं बनाया है। उक्त Title Suit में उन्होंने उक्त वादग्रस्त भूमि पर स्वयं के right, title, interest तथा दखल कब्जे की सम्पुष्टि संबंधी अनुतोष (relief) की प्रार्थना की है।

उक्त वाद में मध्यक्षेपक (Intervenor) ने द्वितीय पक्ष को पक्षकार नहीं बनाया है जिससे इस तथ्य को बल मिलता है कि उक्त वादग्रस्त भूमि पर द्वितीय पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।

प्रथम पक्ष द्वारा नियमित अंतराल पर निर्गत खालसा रसीद समेत वर्ष 2022-23 तक के कुल 22 (बाईस) लगान रसीद प्रस्तुत किया गया है वहीं दुसरी ओर द्वितीय पक्ष के द्वारा मात्र एक लगान रसीद जो कि वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 का संयुक्त है, प्रस्तुत किया गया है। स्पष्टया: नियमित अंतराल पर लगान रसीद निर्गत होना शांतिपूर्ण दखल-कब्जे का एक प्रमाण है। यह तथ्य सर्वविदित है कि भू-अर्जन वाद में स्वत्व (title) संबंधी कागजातों के अतिरिक्त मुआवजा भुगतान के लिए दखल कब्जा भी एक आधार होता है। प्रथम पक्ष के नाम से भू-अर्जन वाद में उसी वादग्रस्त भूमि के अंश भाग को अर्जित किए जाने का नोटिस इस तथ्य का परिचायक है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रथम पक्ष का दखल कब्जा पाया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि तीनों पक्ष के मध्य जमीन के स्वत्व संबंधी विवाद विद्यमान है जिसका निपटारा अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में संभव नहीं है। परन्तु दखल-कब्जा के बिन्दु पर उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर प्रथम पक्ष के दखल-कब्जे की संपुष्टि की जाती है एवं वर्त्तमान में भूमि पर किसी तरह के लोक परिशांति भंग होने की सूचना किसी स्त्रोत से प्राप्त नहीं है अत: द0प्र0सं0 की धारा 146(i) के तहत निर्गत जब्ती आदेश को विलोपित (revoke) किया जाता है। साथ ही द्वितीय पक्ष एवं मध्यक्षेपक (Intervenor) को निर्देश दिया जाता है कि सक्षम न्यायालय के आदेश के बगैर प्रथम पक्ष को बेदखल करने का प्रयास नहीं करेंगे। निर्णय से असंतुष्ट पक्ष चाहें तो सक्षम न्यायालय जा सकते हैं।

उपरोक्त आदेश के साथ ही वाद की कार्यवाई समाप्त घोषित की जाती है। आदेश की प्रति उभय पक्ष, मध्यक्षेपक (Intervenor) तथा थाना प्रभारी, अंचल अधिकारी, बगोदर को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

28/7/25

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

28/7/25

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2025.08.25 11:30:14 +05:30
Location: 192.168.1.3